N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025
2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0157 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 19/06/2025 18:31 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 10/06/2025 Date To (दिनांक तक): 18/06/2025
      Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 15:30 बजे Time To (समय तक): 13:25 बजे
   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 19/06/2025 Time (समय): 16:00 बजे
   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय) 19/06/2025 18:31:55 बजे
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH-EAST, 68 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE
   (b)Address(पता): PATWAR MANDAL EKALSINGHA, TEHASIL BHINAI,JILA AJMER
   (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
   Name of P.S (थाना का नाम):
   District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):
   (a) Name(नाम): MAHENDRA KUMAR SAIN
   (b) Father's Name (पिता का नाम): LET.PRAHLAD
   (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1980
   (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA
   (e) UID No(यूआईडी सं.):
   (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
   Date of Issue (जारी करने की तिथि):
   Place of Issue (जारी करने का स्थान):
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) Occupation (व्यवसाय):
   (i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	SWATI CHILDREN SCHOOL KE PASS, SUBHASH NAGAR, WARD NO.34, BIJAYNAGAR, ब्यावर, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	PANEE KI TANKEE KE PASS, EKALSINGA, BHINAI, AJMER, RAJASTHAN, INDIA

   (j) Phone number (दूरभाष न.):
   Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	VIKASH KUMAR		पिता:PRAHLAD SINGH	1. GAON SULTANA,JHUNJHUNU,RAJASTHAN,INDIA
2	PANNA		पिता:HARDEV	1. EKALSINGHA,BHINAI,AJMER,R

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		5,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 5,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामे,श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,अजमेर। विषयः- पटवारी द्वारा रिश्वत मांगने के सम्बन्ध में। महोदय,निवेदन है कि मुझ प्रार्थी महेन्द्र कुमार सैन के पिता श्री प्रहलाद का स्वर्गवास दिनाक 09.01.2006 को हो गया था, मेरे पिताजी के नाम ग्राम एकलसिंगा तहसील भिनाय जिला अजमेर में खसरा नम्बर 1336 से 1338, 1346, 1349, 2695/5033 ,2696, 2806, 2868/5018 2872, 2873,3348,3373,3379/5051, 3380/5052, 3473 में सामलाती कृषि भूमि है। मेरे पिताजी के स्वर्गवास हो जाने से मैने उक्त भूमि का नामान्तरण मेरे व मेरी मां, मेरी बहनो के नाम खुलवाने हेतु वारिसानियो एंव उतराधिकारियो का शपथ पत्र एंव पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 20.05.2025 को हल्का पटवारी श्री विकास कुमार को एकलसिंगां स्थित पटवार घर पर दे दिये थे, परन्तु पटवारी ने अभी तक नामान्तरण नही खोला है। मेने पटवारी से सम्पर्क किया तो पटवारी ने हमारे विरासत का नामान्तरण खोलने के लिये मेरे से 5500 रूपये रिश्वत के मांगे। मेने अभी तक रिश्वत नही दी इसलिये मेरा अभी तक काम नही किया है। मै पटवारी को रिश्वत लेते हुये को पकडवाना चाहता हु, कार्यवाहीकरे। दिनांक 10.06.2025 प्रार्थी एसडी महेन्द्र कुमार सैन [redacted] कार्यवाही पुलिस एसीबी अजमेर समय 3.30 पीएम दिनांक 10.06.2025 उक्त लिखित रिपोर्ट श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से मार्क शुदा परिवादी श्री महेन्द्र कुमार सेन पुत्र स्व0 श्री प्रहलाद सेन उम्र 45 साल जाति नाई निवासी पानी की टंकी के पास एकलसिंगा तहसील भिनाय जिला अजमेर हाल निवास स्वाति चिल्ड्रन स्कुल के पास सुभाषनगर वार्ड नम्बर 34 बिजयनगर जिला ब्यावर ने मन निरीक्षक पुलिस मीरां बेनीवाल के समक्ष प्रस्तुत की। प्रस्तुत रिपोर्ट परिवादी को पढकर सुनाई तो रिपोर्ट में अंकित तथ्य सही होना एंव रिपोर्ट स्वयं द्वारा लिखित होना बताया। परिवादी से दरियाफत की गयी तो बताया कि "हल्का पटवारी पटवार हल्का एकलसिंगा श्री विकास कुमार द्वारा उसके स्व0 पिताजी के नाम की जमीन का विरासत का नामान्तरण खोलने की एवज में 5500 रूपये रिश्वत की मांग की जा रही है। रूपये नही देने से नामान्तरण खोलने का काम नही कर रहा है। मै पटवारी को रिश्वत नही देना चाहता हूं। बल्कि पटवारी को रिश्वत लेते हुये को रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। पुछने पर यह भी बताया कि मेनें मेरे पिताजी के नाम की कुछ जमीन का मेरी माता एंव बहिनो से मेरे नाम हक त्याग भी करवा लिया है, परन्तु विरासत का नामान्तरण खुलने के बाद ही हक त्याग का नामान्तरण खुलेगा। आपके चाहे अनुसार पटवारी को दिये कागजात की फोटो प्रति प्रस्तुत कर रहा हु। परिवादी को पुछने पर बताया कि मेरी पटवारी विकास कुमार से कोई दुश्मनी एंव उधार का लेन देन नही है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एंव दरियाफत से मामला रिश्वत राशि की मांग का पाया जाता है। अतः परिवादी को रिश्वत राशि की मांग का गोपनीय रूप से सत्यापन करवाये जाने हेतु अवगत कराया गया तो परिवादी ने रिश्वत मांग का सत्यापन कराने हेतु सहमति प्रदान की। समय 05.00 पीएम पर कानि श्री मनोज कुमार 01 को कार्यालय कक्ष में बुलाया जाकर परिवादी श्री महेन्द्र कुमार सेन से आपस में परिचय करवाया गया तथा दोनो के मोबाईल नम्बर का जिसमें परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] एंव श्री मनोज कुमार के मोबाईल नम्बर [redacted] का आपस में आदान -प्रदान कराया गया । कार्यालय से डिजीटल वायॅस रिकॉर्डर व नया/खाली मैमोरी कार्ड मंगवाया गया। परिवादी को वायॅस रिकॉर्डर ऑपरेट करने की विधिस समझाई जाकर वायॅस रिकॉर्डर में नया/खाली मैमोरी कार्ड डाला जाकर श्री मनोज कुमार कानिस्टेबल को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के सुपुर्द किया गया। समय 05.20 पीएम पर कानि श्री मनोज कुमार 01 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता सम्पादित करवाये जाने हेतु परिवादी श्री महेन्द्र कुमार सेन के साथ रवाना किया गया। समय 10.30 पीएम पर कानि0 मनोज कुमार उपस्थित आया एंव वायॅस रिकॉर्डर बन्द अवस्था में मय मैमोरी कार्ड के प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि "कार्यालय से परिवादी द्वारा लाये निजी वाहन से रवाना होकर कस्बा बिजय नगर पहुचें जंहा पर परिवादी ने अपनी मोटर साईकिल ली। गोपनीय स्थान पर मैने परिवादी को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के संचालन की प्रक्रिया पुनः समझाई, विकास कुमार पटवारी की लोकेशन की जानकारी हेतु परिवादी ने उसे अपने मोबाईल फोन से पटवारी के मोबाईल फोन पर फोन किया तो पटवारी ने स्वंय का अपने किराये के मकान पर ही उपस्थित होना बताया तथा महेन्द्र कुमार को अपने मकान पर ही आने को कहा। मैने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर ऑन कर श्री महेन्द्र कुमार सेन को सुपुर्द कर उसके शर्ट की उपरी जेब में रखवाया, परिवादी अपनी मोटर साईकिल से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु रवाना हो गया मै अपनी उपस्थित छिपाते हुये वंही पर मुकीम रहा। करीब 8 मिनट बाद परिवादी वापस मेरे पास आया। मैने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर स्विच ऑफ कर अपने पास रखा। श्री महेन्द्र कुमार ने बताया

की मै पटवारी जी के किराये के मकान पर पहुचां तो श्री विकास कुमार बरामदे में ही मुझे मिले तथा मैने मेरी जमीन का नामान्तरण खुलवाने के लिये बात की उन्होने मेरे से पांच हजार रूपये मांगे, हमारे बीच हुई वार्ता टेप रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड हो गई है। मेरे द्वारा वायॅस रिकॉर्डर को चालू करके सुना गया तो उसमें रिश्वत सम्बन्धित एंव नामान्तरण सम्बन्धित वार्तालाप रिकॉर्ड था। बाद रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता आपसे मोबाईल पर वार्ता की। समय रात्रि करीब 8 बजे का होने के कारण परिवादी ने कहा कि आज तो लेट हो गये मै सोमवार या मंगलवार को रूपयों की व्यवस्था करके आपसे ऑफिस आ जाउंगा। दो तीन दिन मेरे कोई काम है। परिवादी को रूख्सत कर बिजयनगर से रवाना होकर कार्यालय में उपस्थित आया। श्री मनोज कुमार द्वारा प्रस्तुत शुदा वायॅस रिकॉर्डर को चालू करके सुना गया तो उसमें रिश्वत सम्बन्धित वार्तालाप दर्ज होना पाया गया । आईन्दा परिवादी के उपस्थित आने पर आगामी कार्यवाही की जायेगी। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर कार्यालय की अलमारी में मेरे द्वारा सुरक्षित रखा। दिनांक 17.06.2025 समय 11.00 ए.एम पर परिवादी श्री महेन्द्र कुमार से जरिये मोबाईल फोन सम्पर्क किया गया तो परिवादी ने बताया कि मै रूपयो की व्यवस्था करके ट्रेप कार्यवाही हेतु आपके ऑफिस में आ रहा हूं। समय 12.40 पी.एम. पर परिवादी कार्यालय मे उपस्थित आया व अवगत करवाया कि दिनांक 10.06.2025 को आपके कार्यालय से मेरे द्वारा लाये गये वाहन से मै और मनोज जी बिजयनगर पहुंचे जंहा पर मैने मेरी मोटर साईकिल लेकर बिजयनगर में ही छुपाव लेकर मनोज जी ने मुझे एक बार वापस टेप रिकॉर्डर चालू व बन्द करना बताया फिर पटवारी के बारे मे जानकारी लेने हेतु पटवारी को मैने फोन किया तो विकास कुमार ने अपने किराये के घर पर ही होना बताया तथा वंही पर आने के लिये मुझे कहा। फिर हम वंहा से रवाना होकर पटवारी के मकान से करीब आधा किलोमीटर पंहुचे। मनोज जी ने मुझे टेप रिकॉर्डर चालू करके दिया जो मेरी शर्ट की उपर की जेब मे रखा। मै मोटर साईकिल से रवाना होकर पटवारी के घर पर पहुंचा मनोज जी वंही पर रह गये । पटवारी के घर पहुंचा तो वंहा पर विकास जी मुझे बाहर बरामदे मे ही मिल गये। मैने नामान्तरण खुलवाने का कहा तो उन्होने रिश्वत की राशि के बारे में पूछा कि फीस तो जमा करवाई नही आपने। मैने कुछ कम करने के लिये कहा तो उसने कहा कि दो सौ पांच सौ कम कर दो आगे भी अधिकारी है। मैने कहा हालात डाउन है तो उसने कहा कि पांच हजार करवा देना। मैने कम करने की कहा तो बोला कि इससे कम नही होगा। उसने यह भी कहा कि साईन तहसीलदार करता है। फिर पटवारी से बात करके मै वापस मनोज जी के पास आ गया तथा उन्हे घटनाक्रम बताया । मनोज जी ने वायॅस रिकॉर्डर को चालू करके सुना भी था। मै बिजयनगर ही रूक गया तथा मनोज जी वंहा से रवाना हो गये। मेरे दो तीन दिन काम था आज रूपयो की व्यवस्था करके आया हूं। आज आगे की कार्यवाही की जा सकती है। समय 01.05 पीएम पर अग्रिम कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र गवाहो की आवश्यकता होने से सचिव अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के नाम तहरीर जारी की जाकर श्री मनोज कुमार कानिस्टेबल नम्बर 01 को सुपुर्द कर गवाह लाने हेतु जिला अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर भिजवाया गया। समय 02.15 पीएम पर श्री मनोज कुमार कानिस्टेबल अजमेर विकास प्राधिकरण से गवाह श्री अशोक कुमार पुत्र श्री किशन सिंह रावत जाति रावत उम्र 38 साल निवासी गली नम्बर 02 ग्राम लोहागल तहसील व जिला अजमेर हाल वरिष्ठ सहायक अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर एंव श्री पंकज सिसोदिया पुत्र स्व0 श्री योगेश कुमार सिसोदिया उम्र 42 साल जाति राजपूत निवासी पार्श्वनाथ प्लीजेन्ट कुन्हाडी कोटा हाल कनिष्ठ अभियन्ता अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर को लेकर उपस्थित आये जिन्हे मन् निरीक्षक पुलिस ने अपना परिचय दिया जाकर उपरोक्तानुसार परिचय प्राप्त किया गया। समय 02.30 पीएम पर कार्यालय की अलमारी मे सुरक्षित रखा परिवादी का प्रार्थना पत्र व रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का वायॅस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के निकाला जाकर परिवादी का प्रार्थना पत्र दिनांक 10.06.2025 गवाहान को पढकर सुनाया गया व दिखाया गया एंव ट्रेप कार्यवाही मे बतौर गवाह उपस्थित रहने की सहमति चाहे जाने पर अपनी अपनी मौखिक सहमति प्रदान की गई। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर गवाहान द्वारा हस्ताक्षर किये गये। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का वायॅस रिकॉर्डर जिसमें लगे मैमोरी कार्ड में रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 10.06.2025 रिकॉर्ड है, वॉयस रिकॉर्डर को चालू करके दोनो गवाहान को सुनाया गया। समय 02.50 पीएम पर परिवादी श्री महेन्द्र कुमार को दोनो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति मे रिश्वत राशि पेश करने की कहने पर परिवादी ने आरोपी श्री विकास कुमार रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 500-500 रूपये के 10 नोट कुल 5000 रूपये पेश किये, जिन पर श्री किरण कुमार वरिष्ठ सहायक से कार्यालय की अलमारी मे से फिनोफथलीन पाउडर मंगवाकर नोटो पर किरण कुमार से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी श्री महेन्द्र कुमार की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब मे कुछ भी शेष नही छोडते हुए पाउडर युक्त नोट रखवाये गये। परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहान को फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया को दृष्टांत देकर समझाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत पृथक से तैयार कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 03.10 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय वायॅस रिकॉर्डर मय नया/खाली मैमोरी कार्ड, मय स्वतन्त्र गवाह श्री पंकज सिसोदिया, श्री अशोक कुमार , एसीबी स्टॉफ श्री कैलाश चारण हैड कानि नम्बर 62, श्री रविन्द्र सिंह कानि नम्बर 308, श्री राजूराम कानि नम्बर 04, श्री सुरेन्द्र कुमार कानि नम्बर 20 मय लैपटॉप/प्रिन्टर ट्रेपबॉक्स, मोबाईल फोन, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का वायॅस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड आदि के प्राईवेट वाहनो से, परिवादी व श्री मनोज कुमार कानि नम्बर 01 परिवादी द्वारा लाये वाहन से ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुये। समय 04.15 पीएम पर उपरोक्त फिकारा की रवाना शुदा मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के नेशनल हाइवे नम्बर 48 सिंगावल

चौराहे पहुचें वाहनो को साईड में खडा करवाया। आरोपी श्री विकास कुमार की लोकेशन की जानकारी हेतु समय 04.24 पीएम पर परिवादी श्री महेन्द्र कुमार सेन के मोबाईल नम्बर [redacted] से फोन कर आरोपी श्री विकास कुमार के मोबाईल नम्बर [redacted] पर वार्ता करवाई जाकर वार्ता को वायॅस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया । वार्ता में आरोपी ने कहा कि मै अभी राता कोट गया हू, तथा मै शाम को आठ बजे अपने घर पर ही मिल लूंगा। परिवादी ने बताया कि पटवारी रात्रि में 8 बजे से पहले मिलेगा नही और हो सकता है कि ज्यादा लेट भी हो जाये। इसलिये आगे की कार्यवाही कल ही की जावे। जिस पर आगामी कार्यवाही दिनांक 18.06.2025 को करने का निर्णय लिया जाकर परिवादी के पास मौजूद रिश्वत राशि 5000 रूपये एक कागज के लिफाफे में प्राप्त किये जाकर सुरक्षित रखे गये। परिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत दी गई। समय 04.35 पीएम पर परिवादी को रूख्सत कर मन् निरीक्षक पुलिस मय शेष हमराहीयान के प्राईवेट वाहनो से एसीबी चौकी अजमेर के लिये रवाना हुये। समय 05.45 पीएम पर उपरोक्त फिकरा की रवाना शुदा मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के एसीबी चौकी अजमेर पहुंची। रिश्वत राशि, वायॅस रिकॉर्डर्स, ट्रेप बॉक्स आदि सुरक्षित रखे गये। गवाहो को दिनांक 18.06.2025 को समय 07.30 ए.एम. पर कार्यालय मे उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूख्सत किया गया। दिनांक 18.06.2025 समय 07.45 पर समस्त स्टॉफ एंव स्वतन्त्र गवाह कार्यायल मे उपस्थित आ चुके है एंव प्राईवेट वाहन भी मौजूद है। कार्यालय अलमारी मे सुरक्षित रखी रिश्वत राशि स्वतन्त्र गवाह श्री अशोक कुमार के पास कागज के लिफाफे मे सुरक्षित रखवाई गई। समय 08.10 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय वायॅस रिकॉर्डर मय नया/खाली मैमोरी कार्ड, मय स्वतन्त्र गवाह श्री पंकज सिसोदिया, श्री अशोक कुमार , एसीबी स्टॉफ श्री कैलाश चारण हैड कानि नम्बर 62, श्री रविन्द्र सिंह कानि नम्बर 308, श्री राजूराम कानि नम्बर 04, श्री चतर सिंह कानि नम्बर 20 श्री सुरेन्द्र कुमार कानि नम्बर 20, श्री मनोज कुमार कानि नम्बर 01 मय लैपटॉप/प्रिन्टर ट्रेपबॉक्स, मोबाईल फोन, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का वायॅस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड आदि के प्राईवेट वाहनो से ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुये। परिवादी से सम्पर्क कर कस्बा बिजयनगर से कुछ पहले मिलने की हिदायत दी गई। समय 09.10 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के कस्बा बिजयनगर से कुछ पहले गोपनीय स्थान पर पहुंचें, वाहनो को साईड में खडा करवाया गया। परिवादी भी अपनी मोटर साईकिल स्थित उपस्थित मिला। परिवादी ने बताया कि मैने जानकारी की तो पटवारी अभी अभी अपने घर से निकल गया है। उसकी लोकेशन की जानकारी मोबाईल पर ले लेते है। हो सकता हो वह कस्बे मे ही हो तथा मुझे तुरन्त बुला ले इसलिये बिजयनगर में ही चलकर उससे बात कर लेते है, जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस समय 09.20 ए.एम. पर परिवादी को उसकी मोटर साईकिल से रवाना कर परिवादी के पीछे पीछे मन् निरीक्षक पुलिसमय हमराहीयान के कस्बा बिजयनगर की तरफ रवाना हुई। समय 09.30 ए.एम. पर उपरोक्त फिकरा की रवाना शुदा मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के कस्बा बिजयनगर में गोपनीय स्थान पर पहुंचें। वाहनो को साईड में खडा करवाया गया। परिवादी भी अपनी मोटर साईकिल स्थित उपस्थित मिला। समय 09.35 पीएम पर परिवादी परिवादी श्री महेन्द्र कुमार सेन के मोबाईल नम्बर [redacted] से फोन कर आरोपी श्री विकास कुमार के मोबाईल नम्बर [redacted] पर वार्ता करवाई जाकर वार्ता को वायॅस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। वार्ता में आरोपी ने कहा कि मै अभी ढाणी आया हुआ हूं। शाम को आउंगा। जिसपर मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमराहीयान के कस्बा बिजयनगर से रवाना होकर बिजयनगर से अजमेर की तरफ जाने वाले हाईवे के लिये रवाना हुई। समय 09.45 ए.एम. पर उपरोक्त फिकरा की रवाना शुदा मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के बिजयनगर से अजमेर की तरफ जाने वाले हाईवे पर पहुंच मुकीम हुई परिवादी भी अपनी मोटर साईकिल सहित उपस्थित आया। समय 10.15 ए.एम. पर परिवादी ने अवगत करवाया कि पटवारी जी अपने पटवार मण्डल क्षैत्र में ही मौजूद होंगें इसलिये ट्रेप कार्यवाही वंही पर जाकर भी की जा सकती है। वह बिजयनगर लेट आयेंगें इसलिये अपन ही एकलसिंघा चलते है मै उन्हे वंही पर रिश्वत दे दूंगा। जिस पर आगामी कार्यवाही हेतु एकलसिंघा जाने का निर्णय लिया जामर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के प्राईवेट वाहनो से एकलसिंघा के लिये रवाना हुई। परिवादी अपनी मोटरसाईकिल से रवाना हुआ। समय 10.45 ए.एम. पर उपरोक्त फिकरा की रवाना शुदा मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के प्राईवेट वाहनो से गांव एकलसिंघा से कुछ पहले पहुंची वाहनो को साईड में खडा करवाया गया। उपस्थित परिवादी ने बताया कि मै पहले जाकर एक बार पटवारी जी के बारे में पता कर लेता हूं कि वो पटवार मण्डल में है या नही, जिस पर परिवादी को हिदायत देकर रवाना किया। मन् निरीक्षक पुलिस मय शेष हमराहीयान के अपनी उपस्थित छिपाते हुये गांव एकल सिंघा से कुछ पहले मुकीम रही। समय 10.55 ए.एम. पर परिवादी मन् निरीक्षक पुलिस के पास उपस्थित आया व अवगत करवाया कि मैने जानकारी की तो पता चला कि पटवारी जी अभी सीमा ज्ञान के लिये खेतो में गये हुये है उन्हे आने में समय लग सकता है। पटवारी ने आगे बताया कि मै पंचायत भवन में चला जाता हूं जैसे ही पटवारी जी आयेंगें मै आपके पास आ जाउंगा जिस पर परिवादी को हिदायत कर रूख्सत किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस अपनी उपस्थिति छिपाते हुये मय हमराहीयान के गोपनीय स्थान पर मुकीम रही। समय 12.40 पी.एम. पर परिवादी मन् निरीक्षक पुलिस के पास उपस्थित आया व अवगत करवाया कि पटवारी जी अब पटवार घर में आ गये जिस पर स्वतन््त्र गवाह श्री अशोक कुमार के पास मौजूद रिश्वत राशि श्री अशोक कुमार से लिफाफे में से निकलवाई जाकर परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब मे कुछ भी शेष नही छोडते हुये रखवाई गई। परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई। समय 12.50 पी.एम. पर

परिवादी मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के गोपनीय स्थान से ट्रेप कार्यवाही हेतु पटवार मण्डल एकलसिंघा की तरफ प्राईवेट वाहनो से रवाना हुई। परिवादी को उसकी मोटर साईकिल से रवाना किया गया। समय 12.52 पी.एम. उपरोक्त फिकरा की रवाना-शुदा मन् निरीक्षक पुलिस पटवार मण्डल एकलसिंघा से कुछ पहले पहुंची परिवादी को वायॅस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द कर पटवार मण्डल एकलसिंघा के लिये परिवादी की मोटर साईकिल से रवाना किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के प्राईवेट वाहनो में ही मुकीम रही। समय करीब 01.25 पीएम पर प्राईवेट वाहन में मय हमराहीयान के मुकीम शुदा मन् निरीक्षक पुलिस को परिवादी श्री महेन्द्र कुमार ने पास आकर बताया कि मैने पटवारी के कहे अनुसार पांच हजार रूपये पन्ना जी को दिये जिसने हरा रंग का साफा बान्धा हुआ है। पटवारी विकास जी एंव पन्ना जी पटवार घर ही है। परिवादी से वायॅस रिकॉर्डर मांगा गया तो परिवादी ने पूर्व में सुपुर्द शुदा वायॅस रिकॉर्डर पेश किया जो की बन्द अवस्था मे ही था, रिकॉर्डर को सुरक्षित रखा गया। प्राईवेट वाहनो में मौजूद समस्त एसीबी स्टॉफ श्री कैलाश चारण हैड कानि 62, श्री रविन्द्र सिंह कानि नम्बर 308, श्री मनोज कुमार कानि नम्बर 01, श्री राजूराम कानि नम्बर 04, श्री चतर सिंह कानि नम्बर 17, श्री सुरेन्द्र कानि नम्बर 20 मय स्वतन्त्र गवाहान के पटवार भवन एकल सिंघा प्राईवेट वाहनो से पहुंची, जंहा पर दो व्यक्ति जिसमें से एक ने सफेद शर्ट व पेन्ट पहन रखी थी एंव दूसरा शक्स जिसने हल्के हरे रंग की पगडी पहनी हुई होकर कुर्ता एंव धोती पहनी हुई थी मौजूद मिला परिवादी भी अपनी मोटर साईकिल से उपस्थित आया। महेन्द्र कुमार सैन ने सफेद शर्ट पहने व्यक्ति को पटवारी व पगडी पहने हुये व्यक्ति को पन्नाजी चैन मेन होना बताते हुये रूपये पटवारी विकास कुमार के कहे अनुसार पन्नाजी को देना बताया, जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय दिया जाकर परिचय पूछा तो अपना नाम विकास कुमार पुत्र श्री पुत्र श्री प्रहलाद सिंह उम्र 35 साल जाति जाट निवासी गांव सुल्ताना जिला झुझुनु हाल किराये का निवास बरल रोड महेश स्कूल के पास बिजयनगर जिला ब्यावर हाल पटवारी पटवार हल्का एकलसिंघा तहसील भिनाय जिला अजमेर होना बताया। पगडी पहने शक्स से अपना परिचय पन्ना पुत्र श्री हरदेव जाति भाम्बी उम्र करीब 67 साल निवासी एकलसिंघा तहसील भिनाय जिला अजमेर होना अवगत करवाया। मन् निरीक्षक पुलिस ने पटवारी श्री विकास कुमार से परिवादी श्री महेन्द्र से ली गई रिश्वत राशि के सम्बन्ध मे पूछने पर रिश्वत राशि लेना इंकार किया। मौके पर मौजूद परिवादी ने रिश्वत राशि पटवारी के कहे अनुसार पन्ना को देने के कथन किये। श्री पन्ना से पूछने पर बताया कि इनके काम के लिये पटवारी जी के लिये मैने रूपये लिये जो रूपये पटवार मण्डल के गेट के बाहर की तरफ लिये है जो मेरे कुर्ते की जेब में है। रिश्वत राशि के लेनदेन की पुष्टि होने पर पास ही स्थित चाय की दुकान से पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में से दो पारदर्शी प्लास्टिक के नये डिस्पोजल गिलास निकलवाये जाकर उनमें साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में आरोपी श्री पन्ना के दाहिने हाथ व बायें हाथ की अगुंलियो एवं अंगुठे को बारी-बारी से डुबोकर धुलवाया गया तो दोनो हाथो के धोवण का रंग हल्का गुलाबी आया, जिसे उपस्थितगणो को दिखाया जाने पर हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात चार कांच की साफ शिशियो को पुनः साफ कर दाहिने हाथ के धोवण को दो शीशीयो मे आधा-आधा भरकर व बायें हाथ के धोवण को दो शीशीयो मे आधा-आधा भरकर चारो शीशीयों को सुरक्षित रखा गया। आरोपी के निशादेही से उसकी पहने हुये कुर्ते के उपर की बांयी तरफ की जेब की तलाशी गवाह श्री अशोक कुमार से लिवाई गई तो 500-500 रूपये के कुछ नोट निकाले जिनका मिलान दोनो गवाहान को पूर्व की मुर्तिब शुदा फर्द पेशकशी से करने की कहने पर दोनो गवाहान ने नोटो के नम्बरो का मिलान कर हुबहु होना तथा 500-500 रूपये के 10 नोट कुल 5000 रूपये होना बताया गया। उक्त नोटो को गवाह श्री अशोक कुमार के पास सुरक्षित रखवाये गये। परिवादी द्वारा नामान्तरण खोलने से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करने की कहने पर आरोपी द्वारा अपनी टेबल के उपर रखे कागजो के अन्दर से परिवादी से सम्बन्धित कागजात निकाल कर पेश किये जो गवाह श्री पकंज सिसोदिया के पास सुरक्षित रखवाये गये। मौके पर छोटा कमरा एंव लाईट नही होने एंव बैठने की माकूल व्यवस्था नही होने के कारण आरोपी श्री विकास कुमार एंव श्री पन्ना को हमराह लिया जाकर, समस्त हमराहीयान सहित मय धोवण की शीशीयां, बरामद शुदा रिश्वत राशि मय प्राईवेट वाहनो के पंचायत भवन एकलसिंघा पहुंचे जंहा पर ग्राम विकास अधिकारी भवंर लाल शर्मा को अपना परिचय देकर तथ्यो से संक्षेप में अवगत करवाते हुये आगामी कार्यवाही पंचायत भवन मे बने हॉल मे कार्यवाही करते हुये आरोपी श्री पन्ना से परिवादी से ली गई रिश्वत राशि के सम्बन्ध मे पुनः पूछने पर बताया कि पटवारी जी ने मुझे फोन करके बुलाया था मैने इनसे रूपये लिये रूपये गिने नही जेब मे रख लिये। परिवादी ने बताया कि मै पटवारी जी के पास आया पटवारी जी ने पन्ना को बुलाया तथा पन्ना को रूपये देने का कहा जो रूपये मैने पटवार मण्डल के गेट के बाहर ही पटवारी के कहे अनुसार पन्ना को दे दिये जो पटवार मण्डल चैनमैन है। तत्पश्चात पटवारी विकास कुमार से पुनः पूछने पर रिश्वत राशि मांगने से इंकार किया परिवादी महेन्द्र कुमार ने पटवारी विकास कुमार की बात का खण्डन करते हुये बताया कि दिनांक 10.06.2025 को पटवारी द्वारा म्यूटेशन खोलने के बदले रिश्वत राशि 5500 रूपये में से 200-300 रूपये कम करके 5000 रूपये का कहा, जो आज पन्ना जी को बुलाकर 5000 रूपये दिलवाये। पन्ना को पटवारी ने ही बुलाया था जिसके पटवार घर आने पर मैने पटवारी के सामने ही पटवार घर के गेट पर बाहर की तरफ पांच हजार रूपये दिये। इस प्रकार रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 10.06.2025 के क्रम में अरोपी पटवारी द्वारा रिश्वत राशि 5000 रूपये आरोपी श्री पन्ना को दिलवाया जाना पाया गया है। तत्पश्चात

परिवादी मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के गोपनीय स्थान से ट्रेप कार्यवाही हेतु पटवार मण्डल एकलसिंघा की तरफ प्राईवेट वाहनो से रवाना हुई। परिवादी को उसकी मोटर साईकिल से रवाना किया गया। समय 12.52 पी.एम. उपरोक्त फिकरा की रवाना शुदा मन् निरीक्षक पुलिस पटवार मण्डल एकलसिंघा से कुछ पहले पहुंची परिवादी को वायॅस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द कर पटवार मण्डल एकलसिंघा के लिये परिवादी की मोटर साईकिल से रवाना किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के प्राईवेट वाहनो में ही मुकीम रही। समय करीब 01.25 पीएम पर प्राईवेट वाहन में मय हमराहीयान के मुकीम शुदा मन् निरीक्षक पुलिस को परिवादी श्री महेन्द्र कुमार ने पास आकर बताया कि मैने पटवारी के कहे अनुसार पांच हजार रूपये पन्ना जी को दिये जिसने हरा रंग का साफा बान्धा हुआ है। पटवारी विकास जी एंव पन्ना जी पटवार घर ही है। परिवादी से वायॅस रिकॉर्डर मांगा गया तो परिवादी ने पूर्व में सुपुर्द शुदा वायॅस रिकॉर्डर पेश किया जो की बन्द अवस्था मे ही था, रिकॉर्डर को सुरक्षित रखा गया। प्राईवेट वाहनो में मौजूद समस्त एसीबी स्टॉफ श्री कैलाश चारण हैड कानि 62, श्री रविन्द्र सिंह कानि नम्बर 308, श्री मनोज कुमार कानि नम्बर 01, श्री राजूराम कानि नम्बर 04, श्री चतर सिंह कानि नम्बर 17, श्री सुरेन्द्र कानि नम्बर 20 मय स्वतन्त्र गवाहान के पटवार भवन एकल सिंघा प्राईवेट वाहनो से पहुंची, जंहा पर दो व्यक्ति जिसमें से एक ने सफेद शर्ट व पेन्ट पहन रखी थी एंव दूसरा शक्स जिसने हल्के हरे रंग की पगडी पहनी हुई होकर कुर्ता एंव धोती पहनी हुई थी मौजूद मिला परिवादी भी अपनी मोटर साईकिल से उपस्थित आया। महेन्द्र कुमार सैन ने सफेद शर्ट पहने व्यक्ति को पटवारी व पगडी पहने हुये व्यक्ति को पन्नाजी चैन मेन होना बताते हुये रूपये पटवारी विकास कुमार के कहे अनुसार पन्नाजी को देना बताया, जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय दिया जाकर परिचय पूछा तो अपना नाम विकास कुमार पुत्र श्री पुत्र श्री प्रहलाद सिंह उम्र 35 साल जाति जाट निवासी गांव सुल्ताना जिला झुझुनु हाल किराये का निवास बरल रोड महेश स्कूल के पास बिजयनगर जिला ब्यावर हाल पटवारी पटवार हल्का एकलसिंघा तहसील भिनाय जिला अजमेर होना बताया। पगडी पहने शक्स से अपना परिचय पन्ना पुत्र श्री हरदेव जाति भाम्बी उम्र करीब 67 साल निवासी एकलसिंघा तहसील भिनाय जिला अजमेर होना अवगत करवाया। मन् निरीक्षक पुलिस ने पटवारी श्री विकास कुमार से परिवादी श्री महेन्द्र से ली गई रिश्वत राशि के सम्बन्ध मे पूछने पर रिश्वत राशि लेना इंकार किया। मौके पर मौजूद परिवादी ने रिश्वत राशि पटवारी के कहे अनुसार पन्ना को देने के कथन किये। श्री पन्ना से पूछने पर बताया कि इनके काम के लिये पटवारी जी के लिये मैने रूपये लिये जो रूपये पटवार मण्डल के गेट के बाहर की तरफ लिये है जो मेरे कुर्ते की जेब में है। रिश्वत राशि के लेनदेन की पुष्टि होने पर पास ही स्थित चाय की दुकान से पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में से दो पारदर्शी प्लास्टिक के नये डिस्पोजल गिलास निकलवाये जाकर उनमें साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में आरोपी श्री पन्ना के दाहिने हाथ व बायें हाथ की अगुंलियो एवं अंगुठे को बारी-बारी से डुबोकर धुलवाया गया तो दोनो हाथो के धोवण का रंग हल्का गुलाबी आया, जिसे उपस्थितगणो को दिखाया जाने पर हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात चार कांच की साफ शिशियो को पुनः साफ कर दाहिने हाथ के धोवण को दो शीशीयो मे आधा-आधा भरकर व बायें हाथ के धोवण को दो शीशीयो मे आधा-आधा भरकर चारो शीशीयों को सुरक्षित रखा गया। आरोपी के निशादेही से उसकी पहने हुये कुर्ते के उपर की बांयी तरफ की जेब की तलाशी गवाह श्री अशोक कुमार से लिवाई गई तो 500-500 रूपये के कुछ नोट निकाले जिनका मिलान दोनो गवाहान को पूर्व की मुर्तिब शुदा फर्द पेशकशी से करने की कहने पर दोनो गवाहान ने नोटो के नम्बरो का मिलान कर हुबहु होना तथा 500-500 रूपये के 10 नोट कुल 5000 रूपये होना बताया गया। उक्त नोटो को गवाह श्री अशोक कुमार के पास सुरक्षित रखवाये गये। परिवादी द्वारा नामान्तरण खोलने से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करने की कहने पर आरोपी द्वारा अपनी टेबल के उपर रखे कागजो के अन्दर से परिवादी से सम्बन्धित कागजात निकाल कर पेश किये जो गवाह श्री पकंज सिसोदिया के पास सुरक्षित रखवाये गये। मौके पर छोटा कमरा एंव लाईट नही होने एंव बैठने की माकूल व्यवस्था नही होने के कारण आरोपी श्री विकास कुमार एंव श्री पन्ना को हमराह लिया जाकर, समस्त हमराहीयान सहित मय धोवण की शीशीयां, बरामद शुदा रिश्वत राशि मय प्राईवेट वाहनो के पंचायत भवन एकलसिंघा पहुंचे जंहा पर ग्राम विकास अधिकारी भवंर लाल शर्मा को अपना परिचय देकर तथ्यो से संक्षेप में अवगत करवाते हुये आगामी कार्यवाही पंचायत भवन मे बने हॉल मे कार्यवाही करते हुये आरोपी श्री पन्ना से परिवादी से ली गई रिश्वत राशि के सम्बन्ध मे पुनः पूछने पर बताया कि पटवारी जी ने मुझे फोन करके बुलाया था मैने इनसे रूपये लिये रूपये गिने नही जेब मे रख लिये। परिवादी ने बताया कि मै पटवारी जी के पास आया पटवारी जी ने पन्ना को बुलाया तथा पन्ना को रूपये देने का कहा जो रूपये मैने पटवार मण्डल के गेट के बाहर ही पटवारी के कहे अनुसार पन्ना को दे दिये जो पटवार मण्डल चैनमैन है। तत्पश्चात पटवारी विकास कुमार से पुनः पूछने पर रिश्वत राशि मांगने से इंकार किया परिवादी महेन्द्र कुमार ने पटवारी विकास कुमार की बात का खण्डन करते हुये बताया कि दिनांक 10.06.2025 को पटवारी द्वारा म्यूटेशन खोलने के बदले रिश्वत राशि 5500 रूपये में से 200-300 रूपये कम करके 5000 रूपये का कहा, जो आज पन्ना जी को बुलाकर 5000 रूपये दिलवाये। पन्ना को पटवारी ने ही बुलाया था जिसके पटवार घर आने पर मैने पटवारी के सामने ही पटवार घर के गेट पर बाहर की तरफ पांच हजार रूपये दिये। इस प्रकार रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 10.06.2025 के क्रम में अरोपी पटवारी द्वारा रिश्वत राशि 5000 रूपये आरोपी श्री पन्ना को दिलवाया जाना पाया गया है। तत्पश्चात

आरोपी पन्ना के दाहिने हाथ व बाये हाथ के धोवण की शिंशियों पर मार्क क्रमशः आर.एच.- 1 , आर.एच.- 2, एल.एच.- 1 व एल.एच.- 2 अंकित कर सीलड चिट किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी के पहनने के लिये एक अन्य कुर्ता मंगवाया जाकर आरोपी के पहने हुये कुर्ते को ससम्मान उतरवाया जाकर आरोपी को कुर्ता पहनवाया गया। आरोपी का पहना हुआ कुर्ता बरंग सफेद के उपर की बांयी जेब जंहा से रिश्वत राशि बरामद हुई है, का धोवण लिये जाने हेतु ट्रेप बॉक्स में से एक पारदर्शी प्लास्टिक का नया डिस्पोजल गिलास निकलवाया जाकर उसमें इसी कार्यालय परिसर से साफ पानी भरवाकर उक्त गिलास मे सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में आरोपी पन्ना के कुर्ते की उपर की बांयी जेब को उलटवाकर डुबाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे उपस्थितगणो को दिखाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो कांच की साफ शिंशियो मे आधा-आधा भरकर मार्क पी-1, पी-2 अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर सीलड चिट किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। गवाह श्री अशोक कुमार के पास सुरक्षित रखी हुई रिश्वत राशि ~~को एक~~ सफेद कागज के लिफाफे में रखकर सिल्ड कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क "एन" अंकित किया जाकर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी के पहने हुये कुर्ते के उपर की बांयी जेब जंहा से रिश्वत राशि बरामद हुई है। उक्त कुर्ते की जेब को सुखाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कुर्ते बरंग सफेद को फोल्डकर एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर सीलडचिट किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क पी अंकित किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात गवाह श्री पकंज सिसोदिया के पास सुरक्षित रखे हुये परिवादी से सम्बन्धित दस्तावेज का अवलोकन किया गया जिसका विवरण इस प्रकार है:-1.एक ई स्टाम्प राशि 50 रूपये का होकर दिनांक 20.05.2025 को नोटेरी पब्लिक द्वारा अटेस्टेड किया हुआ है जो परिवादी श्री महेन्द्र कुमार सैन का अपने पिता श्री प्रहलाद की मृत्यु दिनांक 09.01.2006 के सम्बन्ध मे परिवार का सजरा बाबत शपथ पत्र है। 2. मृत्यु प्रमाण पत्र श्री प्रहलाद सैन (नाई) के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति 3. एक सौ रूपये के स्टॉम्प पर श्रीमती भवंरी देवी,श्रीमती घीसी देवी, श्रीमती रेणु, श्रीमती पिंकी, श्रीमती सम्पति एंव श्रीमती मनभर द्वारा श्री महेन्द्र कुमार के पक्ष में हक त्याग की छायाप्रति 4. ग्राम एकलसिंघा तहसील भिनाय जिला अजमेर के नया खाता नम्बर 486 पुराना खाता नम्बर 483 खसरा नम्बर 2654 की जमाबन्दी की प्रति 5.ग्राम एकलसिंघा तहसील भिनाय जिला अजमेर के नया खाता नम्बर 476 पुराना खाता नम्बर 475 खसरा नम्बर 1336,1337,1338,1346,1349 की जमाबन्दी की प्रति 6. ग्राम एकलसिंघा तहसील भिनाय जिला अजमेर के नया खाता नम्बर 653 पुराना खाता नम्बर 652 खसरा नम्बर 2695/5033, 2696, 2806, 2868/5018, 2872, 2873, 3348, 3373, 379/5051, 3380/5052, 3473 की जमाबन्दी की प्रति उपरोक्त समस्त दस्तावेज के प्रत्येक पेज पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। परिवादी श्री महेन्द्र कुमार सैन को रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता के समय वायॅस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द किया गया था जो रिकॉर्डर परिवादी द्वारा मन् निरीक्षक पुलिस को पेश किया जो बन्द अवस्था मे था वायॅस रिकॉर्डर को चालू करके सुना गया तो उसमें 17.41 मिनट की वार्ता रिकॉर्ड है उसके पश्चात वार्ता रिकॉर्ड नही है परिवादी ने बताया कि मै पटवारी के कहे अनुसार चाय की दुकान पर चाय लेने गया था शायद उस समय मेरे से गलती से रिकॉर्डर बन्द हो गया क्योंकि मैने मेरी जेब में उस समय हाथ डाला था। इस प्रकार रिकॉर्डर का रिश्वत राशि आदान प्रदान से पूर्व ही बन्द होना पाया गया है। आईन्दा ट्रासंक्रिप्ट तैयार की जायेगी। दिनांक 10.06.2025 को परिवादी व आरोपी के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की रिकॉर्डिंग जो वायॅस रिकॉर्डर मे लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है रूबरू गवाहान आरोपी विकास कुमार को सुनाई गई तो आरोपी विकास कुमार ने बताया कि यह बात सही है कि यह मेरे घर पर आये थे तथा हमारी बात भी हुई थी। रिश्वत की मांग करने के सम्बन्ध मे पूछने पर गलती होना स्वीकार किया। रिश्वत राशि अन्य किसी अधिकारी/कर्मचारी को दी जानी थी या नही इस सम्बन्ध मे पूछने पर कहा कि पांच हजार रूपये अन्य किसी अधिकारी/कर्मचारी को नही देने थे।महेन्द्र जी का विरासत का नामान्तरण मै कार्य की अधिकता की वजह से नही भर पाया था अभी सीमाज्ञान का कार्य चल रहा था। मैने 23 तारीख बाद नामान्तरण भरने का कहा था। परिवादी ने बताया कि हमारे बीच हुई बातचीत में पटवारी जी ने 23 तारीख के बाद म्यूटेशन भरने का कहा था। सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री विकास कुमार पुत्र श्री पुत्र श्री प्रहलाद सिंह उम्र 35 साल जाति जाट निवासी गांव सुल्ताना जिला झुझुनु हाल पटवारी पटवार हल्का एकलसिंघा तहसील भिनाय जिला अजमेर द्वारा श्री महेन्द्र कुमार सेन पुत्र स्व0 श्री प्रहलाद सेन उम्र 45 साल जाति नाई निवासी पानी की टंकी के पास एकलसिंगा तहसील भिनाय जिला अजमेर हाल निवास स्वाति चिल्ड्रन स्कुल के पास सुभाषनगर वार्ड नम्बर 34 बिजयनगर जिला ब्यावर के पिता श्री प्रहलाद की मृत्यु के पश्चात राजस्व गांव एकल सिंघा स्थित सयुंक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1336 से 1338, 1346, 1349, 2695/5033, 2696, 2806, 2868/5018 2872, 2873, 3348, 3373, 3379/5051, 3380/5052, 3473 का विरासत का नामान्तरण खोलने की एवज में 5500 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 10.06.2025 को रिश्वत राशि 5000 रूपये की मांग कर दिनांक 18.06.2025 को रिश्वत राशि पटवार मण्डल एकलसिंघा में अस्थाई तौर पर काम कर रहे चैन मैन श्री पन्ना पुत्र श्री हरदेव जाति भाम्बी उम्र करीब 67 साल निवासी एकलसिंघा तहसील भिनाय जिला अजमेर को अपने षडयन्त्र मे शामिल कर

रिश्वत राशि 5000 रूपये परिवादी से श्री पन्ना को दिलवाई,जो रिश्वत राशि 5000 रूपये श्री पन्ना के पहने हुये कुर्ते की उपर की बांयी जेब से बरामद होना पाया गया है। आरोपी श्री पन्ना के दाहिने व बाये हाथ एंव पहने हुये कुर्ते की उपर की बांयी जेब के धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना पाया गया है। इस प्रकार उपरोक्त आरोपियान का उक्त कृत्य अपराध धारा 7,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधन 2018) 1988 एंव 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 का कारित करना पाया जाने पर आरोपियान को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जायेगा। घटना स्थल का नक्शा मौका पृथक से मुर्तिब किया जायेगा। कार्यवाही की विडियो ग्राफी यथा आवश्यकता श्री चतर सिंह कानि0 नम्बर 17 से साथ लाये मोबाईल फोन जिसमें नया/खाली मैमोरी कार्ड डाला जाकर की गई। आरोपियान को पृथक-पृथक गिरफ्तार किया गया। घटना स्थल का नक्शा मौका मुर्तिब किया गया। घटना स्थल से रवाना होकर समय 08.20 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय गिरफ्तार शुदा आरोपीगण श्री विकास कुमार व पन्ना मय हमराहीयान स्टॉफ एंव गवाहान मय जब्त शुदा आर्टिकल,रिश्वत राशि, लैपटॉप प्रिन्टर वायॅस रिकॉर्डरस, मोबाईल फोन, ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप प्रिन्टर आदि के प्राईवेट वाहनो से एसीबी कार्यालय पहुंची। जब्त शुदा आर्टिकल व वायॅस रिकॉर्डरस, मोबाईल फोन मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय की अलमारी मे सुरक्षित रखे गये। गवाहो के रूख्सत कर दिनांक 19.06.2025 को समय 08.00 ए.एम पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत दी गई। दिनांक 19.06.20225 को परिवादी व गवाहान के उपस्थित आने पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन एंव रिश्वत राशि लेनदेन से पूर्व वार्ताओ की ट्रासंक्रिप्ट एंव पैन ड्राईव तैयार किये गये। विडियो रिकॉर्डिंग का मैमोरी कार्ड से पैन ड्राईव तैयार किये गये समस्त जब्त एंव सील्ड शुदा आर्टिकल जो मालखाना में जमा करवाये जाने है, मालखाना में जमा करने हेतु मालखाना प्रभारी को सुपुर्द किये गये। गवाहो व परिवादी को रूख्सत किया गया। इस प्रकार अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री विकास कुमार पुत्र श्री पुत्र श्री प्रहलाद सिंह उम्र 35 साल जाति जाट निवासी गांव सुल्ताना जिला झुझुनु हाल किराये का निवास बरल रोड महेश स्कूल के पास बिजयनगर जिला ब्यावर हाल पटवारी पटवार हल्का एकलसिंघा तहसील भिनाय जिला अजमेर द्वारा परिवादी श्री महेन्द्र कुमार सेन पुत्र स्व0 श्री प्रहलाद सेन उम्र 45 साल जाति नाई निवासी पानी की टंकी के पास एकलसिंगा तहसील भिनाय जिला अजमेर हाल निवास स्वाति चिल्ड्रन स्कुल के पास सुभाषनगर वार्ड नम्बर 34 बिजयनगर जिला ब्यावर के पिता श्री प्रहलाद की मृत्यु के पश्चात राजस्व गांव एकल सिंघा स्थित सयुंक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1336 से 1338, 1346, 1349, 2695/5033, 2696, 2806, 2868/5018 2872, 2873, 3348, 3373, 3379/5051, 3380/5052,3473 का विरासत का नामान्तरण खोलने की एवज में 5500 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 10.06.2025 को रिश्वत राशि 5000 रूपये की मांग परिवादी से कर दिनांक 18.06.2025 को रिश्वत राशि पटवार मण्डल एकलसिंघा में अस्थाई रूप से काम कर रहे प्राईवेट व्यक्ति श्री पन्ना पुत्र श्री हरदेव जाति भाम्बी उम्र करीब 67 साल निवासी एकलसिंधा तहसील भिनाय जिला अजमेर को अपने षडयन्त्र मे शामिल कर परिवादी से रिश्वत राशि 5000 रूपये श्री पन्नालाल को दिलवाये, जो रिश्वत राशि 5000 रूपये श्री पन्ना के पहने हुये कुर्ते की उपर की बांयी जेब से बरामद होना पाया गया है। आरोपी श्री पन्ना के दाहिने व बाये हाथ एंव पहने हुये कुर्ते की उपर की बांयी जेब के धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना पाया गया है। अतः आरोपीगण श्री विकास कुमार पुत्र श्री पुत्र श्री प्रहलाद सिंह उम्र 35 साल जाति जाट निवासी गांव सुल्ताना जिला झुझुनु हाल किराये का निवास बरल रोड महेश स्कूल के पास बिजयनगर जिला ब्यावर हाल पटवारी पटवार हल्का एकलसिंघा तहसील भिनाय जिला अजमेर एवं श्री पन्ना पुत्र श्री हरदेव जाति भाम्बी उम्र करीब 67 साल निवासी एकलसिंघा तहसील भिनाय जिला अजमेर द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा 7,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस 2023 का कारित किया जाने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन श्रीमान् महानिदेशक भ्र0नि0ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें साद्र प्रेषित है। (मीरां बेनीवाल) निरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।........कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती मीरां बेनीवाल, निरीक्षक पुलिस,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,अजमेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस 2023 में आरोपीगण 1- श्री विकास कुमार पुत्र श्री पुत्र श्री प्रहलाद सिंह उम्र 35 साल जाति जाट निवासी गांव सुल्ताना जिला झुझुनु हाल किराये का निवास बरल रोड महेश स्कूल के पास बिजयनगर जिला ब्यावर हाल पटवारी पटवार हल्का एकलसिंधा तहसील भिनाय जिला अजमेर एवं 2- श्री पन्ना पुत्र श्री हरदेव जाति भाम्बी उम्र करीब 67 साल निवासी एकलसिंघा तहसील भिनाय जिला अजमेर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई । उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री राकेश वर्मा, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू.अजमेर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 930 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 906-09 दिनांक 19.06.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर, 2. जिला कलक्टर अजमेर 3.-उप महानिरीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 4.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर।पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Rakesh Kumar Verma **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 19/06/2025 18:

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	07/07/1990				
2	Male	1958				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)